संख्या-27/2026/49-3099/10/2021
(I/1360551/2026)

प्रेषक:

अनिल कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 11 जून, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में '' सहकारी शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान को अनुदान '' योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-I/559777/2026/लेखा-अ/2025-26, दिनांक 22 अप्रैल, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में '' सहकारी शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान को अनुदान के अन्तर्गत आई0सी0सी0एम0आर0टी0 लखनऊ को देय वार्षिक सदस्यता शुल्क '' योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रूपये 200.00 लाख (रूपये दो करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कराने का अनुरोध किया गया है ।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 18 के अधीन लेखाशीर्ष '' 2425- सहकारिता, 003- प्रशिक्षण, 05-सहकारी शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान को अनुदान, 20- सहायता अनुदान - सामान्य (गैर- वेतन) के अन्तर्गत धनराशि रूपये 200.00 लाख (रूपये दो करोड़ मात्र) सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि रूपये 66.66 लाख (रूपये छाछठ लाख छाछठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों/ नियमों / प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

<u>नियम/ शर्तें/ प्रतिबन्ध</u>

(1) आकड़ों की शुद्धता का दायित्व आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

(2) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(3) धनराशि का आहरण एवं व्यय योजना विषयक गाईडलाइन/दिशा निर्देश तथा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा तथा स्वीकृत की गयी धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण/सत्यापन का दायित्व आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज के नियमानुसार समायोजन/निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत भारत सरकार/राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों में उल्लिखित व्यवस्था अन्तर्गत निर्धारित मदों में किया जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) धनराशि के आहरण के संबंध में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय, स्वीकृत की गयी धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने तथा निर्धारित प्रारुप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र विस्तृत विवरण लागत सहित प्राप्त कर उसका परीक्षण कर आगामी वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव के पूर्व शासन को उपलब्ध कराये जाने का दायित्व आयुक्त एवं निबंधक, सहकारिता विभाग, उ0प्र0,लखनऊ का होगा।

(9) आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

(10) आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0 लखनऊ योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित अन्य शर्तों/उपबन्धों का समावेश स्वस्तर से कर लेंगे।

(11) आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा स्वीकृत धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिस मद हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 एवं समय/समय पर निर्गत अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था के अनुपालन का दायित्व आयुक्त एवं निबंधक, सहकारिता विभाग, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय धनराशि रूपये 66.66 लाख (रूपये छाछठ लाख छाछठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 018 लेखा शीर्षक 2425000030500 सहकारी शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान को अनुदान मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तयत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ/ प्रयागराज।
3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4) अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक(शिक्षा), सहकारिता उ0प्र0 लखनऊ।
5) निदेशक, आई0सी0सी0एम0आर0टी0, लखनऊ।
6) वित्त नियंत्रक, कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0 लखनऊ ।
7) वेब मास्टर, कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0 लखनऊ ।
8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन ।
9) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अनिल कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।